

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:-एफ 7(198)/परि/नियम/मु./2010/6133

जयपुर, दिनांक:-15.04.15

कार्यालय आदेश 02/2015

विषय:- कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 में संशोधन किये जाने बाबत।

केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.10.2014 व 13.01.2015 के द्वारा ई-रिक्शा/ई-कार्ट को मोटर यान में एक नवीन श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया गया है। ई-रिक्शा/ई-कार्ट के पंजीयन हेतु भी पृथक से प्रावधान किए गए हैं। अतः विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 दिनांक 16.02.2015 में संशोधन किया जाकर उक्त आदेश के क्रम संख्या 3 पर वर्णित सारणी में अन्य श्रेणी वाहन हेतु निर्धारित पंजीयन सीरीज में से निम्न सीरीज को ई-रिक्शा/ई-कार्ट के लिए आरक्षित किया जाता है:-

ई-रिक्शा हेतु पंजीयन सीरीज	ई-कार्ट हेतु पंजीयन सीरीज
EP	EG
EQ	EH
ER	
ET	

उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार पंजीकृत किए जाने वाले ई-रिक्शा/ई-कार्ट को उपर्युल्लेखित पंजीयन श्रेणियाँ ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।


(गायत्री राठौड़)


परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 7(198)/परि/नियम/मु./2010/6133-6138

जयपुर, दिनांक:-15.04.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, जयपुर।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. अपर परिवहन आयुक्त (जोन).....(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....(समस्त)।
5. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)